इकाई - 3

महिला सशक्तिकरण

विषय सूची

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 महिलाओं का महत्व एवं सशक्तिकरण के तत्व

- 3.3.1 महिलाओं के प्रति घृणा (Mysogyny)
- 3.3.2 सामाजिक वृत्तियाँ (Social Attitudes)
- 3.3.3 सशक्तिकरण के तत्व (The Components of Empowerment)

3.4 महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Violence against Women)

- 3.4.1 महिला भ्रूण एवं शिशु हत्या (Female Foeticide and Infanticide)
- 3.4.2 इच्छा के विरुद्ध विवाह (Forced Marriage)
- 3.4.3 घरेलू हिंसा (Domestic Violence)
- 3.4.4 शिक्षा के अधिकार से वंचित (Denial of Education)
- 3.4.5 महिलाओं के साथ महिलाओं का दुर्व्यवहार (Abuse of Women by Women)
- 3.4.6 महिलाएं एवं जातिगत रूकावटें (Women and Caste Barriers)
- 3.4.7 वेश्यावृत्ति के लिए बलप्रयोग (Forced Prostitution)

3.5 भारतवर्ष में महिलाओं के कानूनी अधिकार

- 3.5.1 कानूनों की अवहेलना (Disregard for Laws)
- 3.5.2 धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नियमों के मध्य संघर्ष (Conflict between Religion and Secular Law)
- 3.5.3 महिलाओं की प्रत्यक्षता के समर्थक कानून (Laws that Enhance Women's Visibility)
- 3.5.4 यौन शोषण के खिलाफ कानून (Laws against Sexual Harassment)

3.6 महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार (Women's Economic and Political Powers)

3.7 इकाई प्रश्नावली

3.8 सारांश

3.9 इकाई गृहकार्य

3.10 शब्द-संग्रह

3.1 प्रस्तावना

एक महिला को खुश रहने का, जानने का एवं उसके अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों को चुनने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि अपने शरीर से सम्बन्धित उसके विचारों का सम्मान किया जाए। परिवार एवं समाज में उसकी स्थिति का सम्मान किया जाए। एक सशक्त महिला गुलामी से आजाद होती है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शोषण से वह स्वतंत्र होती है। उसे यह अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छानुसार पूर्णतः अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं राजनीतिक विकास कर सके। अपने पति एवं ससुराल वालों के प्रति उस प्रकार का सम्मान प्रदर्शित न करने पर जैसा कि वे उससे चाहते हैं अथवा पुरूषवादी सोचों के अनुरूप न चलने पर महिला पर दुश्चरित्रता का आरोप लगा दिया जाता है और उसे शर्मिंदा किया जाता है, यह उसके प्रति नैतिक दुर्व्यवहार है। बिना किसी प्रमाण के उस पर किसी पुरूष के साथ सम्बन्ध रखने का आरोप लगा दिया जाता है।

आज उस युगों पुरानी पुरूषवादी सामाजिक वृत्ति को चुनौती देने की आवश्यकता है जो महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण देती है। सैकड़ों वर्षों से उसे मूलभूत मानवीय, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब समाज किसी तरह भी इन वृत्तियों, प्रथाओं एवं व्यवहार को सही नहीं बता सकता है। समझदारी की इस कमी के कारण हमारी सभ्यता पीड़ित रही है और उसे हानि उठानी पड़ी है।

मूल्यों एवं आध्यात्मिकता का यह पाठ्यक्रम यह स्थापित करना चाहता है कि संसार में संतुलन कायम करने के लिए सशक्त महिलाओं की आवश्यकता है। महिलाओं को चाहिए कि वे समाज में पुरूषों की बराबरी एवं उनका पूरक होने का अपना उचित स्थान प्राप्त करें। इसी आधार पर समाज में संतुलन कायम हो पाएगा। पौराणिक समाजिक पुरूषवादी वृत्तियों के कारण सामाजिक विकास रूक जाता है। भारतीय समाज में पुरूषों को महिलाओं के कानूनी अधिकारों को समझना चाहिए। महिला अधिकारों की प्राप्ति मानवाधिकारों की प्राप्ति है।

'महिलाओं के अधिकारों के मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि महिलाओं को ऐसी कोई कानूनी रूकावट नहीं होनी चाहिए जो पुरूषों को नहीं झेलनी पड़ती है। जब तक भारतवर्ष की महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धार्मिक, राजनीतिक एवं सांसारिक मामलों में बराबरी से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती हैं तब तक भारतवर्ष के भाग्य का उदय नहीं हो सकता है।'

- महात्मा गांधी

'लडकियों को अधिक सफलता क्यों मिलती हैं? लड़कियाँ कार्य को सम्पन्न करती हैं। लड़के इन मामलों में अनियमित होते हैं। व्यवस्थित रूप से सीखने के मामलों में वे कमजोर होते हैं।'

- शहाना अहमद, शिक्षिका, लाहौर

3.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने से निम्नलिखित योग्यता का विकास होता है:

- ❖ महिलाओं के महत्व को समझने एवं उनके अधिकारों को जानने की योग्यता का विकास।
- ❖ सशक्तिकरण के तत्वों की गणना करने की योग्यता का विकास।
- ❖ महिला सशक्तिकरण के मार्ग की रूकावटों को पहचानने की योग्यता का विकास।
- ❖ महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसाओं के विभिन्न प्रकार को जानने की योग्यता का विकास।

3.3 महिलाओं का महत्व एवं सशक्तिकरण के तत्व

एक महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एक पुरूष। प्राचीनकाल से लेकर अब तक महिलाओं के प्रयत्नों एवं परिश्रम ने समाज की बेहतरी में अहम भूमिका अदा की है जबकि इनका यह प्रयत्न एवं श्रम हमेशा ही अनदेखा रहा है एवं उनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। महिला को बच्चे का प्रथम गुरु माना जाता है। माँ द्वारा बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पालना होती है। इसलिए माँ भावी पीढ़ी के गुणों की चाबी हैं। अगर माँ अपनी कीमत समझती है, अगर परिवार एवं समाज में उसका मूल्य एवं सम्मान है। अगर एक माँ, पत्नी एवं पुत्री के रूप में वह अपने अधिकारों एवं सुविधाओं का उपभोग करती है तो ये सारे तत्व उसके बेटों एवं बेटियों में आ जाते हैं।

यदि पत्नी को यह पता है कि वह अपने पति के साथ बराबर की साझीदार है एवं उसका अपने पति की सम्पत्ति तथा उसके समाजिक स्तर पर बराबरी का हक है, तो वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपने रचनात्मक ज्ञान, अपने प्रेम एवं अपनी आध्यात्मिक सुंदरता का प्रयोग अपने वैवाहिक जीवन के प्रति कर सकती है और अपने वृहद् परिवार के जीवन के स्तर को ऊँचा उठा सकती है। अगर जन्म के समय एक बच्ची को प्रसन्नता एवं प्रेम से अपनाया जाता है जो कि उसका मौलिक अधिकार भी है, तो वह परिवार में खुशी एवं संतुष्टता का एक स्त्रोत बन जाती है।

यदि उसे उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है जो उसे पूर्ण कुशाग्र बनाती है तो वह हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में चमक सकती है। यदि विधवा अपने परिवार एवं समाज का सम्पूर्ण सम्मान, प्रेम एवं सहयोग प्राप्त करती है तो वह अपने जीवन के संध्याकाल तक गरिमायुक्त रह सकती है एवं अपने अनुभवों की प्रज्ञा से समाज की सेवा कर सकती है।

3.3.1 महिलाओं के प्रति घृणा (Misogyny)

सभी धर्म शास्त्रों में महिलाओं के प्रति घृणा (misogyny) की भावना प्रदर्शित की गई है। पुरूषों के विरुद्ध घृणा प्रदर्शित करने वाला कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। जिस बात का कोई अस्तित्व ही न हो उसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकता है। महर्षियों द्वारा लाक्षणिक अथवा सांकेतिक भाषा में प्रकट किए गए कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्यों को टीकाकारों ने तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है। ऐसा देखा गया है कि प्रायः ये खंडित सत्य समाज में धार्मिक वृत्तियों एवं मान्यताओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आत्मा को सर्वोच्च सत्ता की पत्नी माना गया है और तद्नुसार आत्मा को सुहागिन कहा जाता है। इस बात की टीका इस प्रकार से की जाती है कि जब तक कोई नारी किसी पुरूष से विवाह नहीं कर लेती है तब तक वह सुहागिन नहीं बन सकती। धर्मशास्त्र किसी शुद्ध आत्मा को श्वेत मानते हैं और अशुद्ध आत्मा को श्याम। इस बात की टीका कुछ इस प्रकार से की जाती है कि गोरी स्त्रियाँ अच्छी होती हैं एवं काली स्त्रियाँ अच्छी नहीं होती हैं। शास्त्रों में उन आत्माओं की चर्चा की गई है जिन्होंने स्वयं को पूर्णतः सर्वोच्च सत्ता पर निःस्वार्थ भाव से अर्पित कर दिया। इसी प्रकार से एक महिला से यह उम्मीद की जाती है कि वह भी स्वयं को अपने पति के लिए पूर्णतः समर्पित कर दे और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अपने पति के व्यवहार को लेकर न पूछे।

मर्दों को 'पुरुष' (चैतन्य) एवं नारियों को 'प्रकृति' (वस्तु) माना जाता है। पुरूषों को यह शिक्षा दी जाती है कि उन्हें समाज में प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करना है जबकि नारियों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें सेविका की भूमिका अपनाना है। जब सूक्ष्म आध्यात्मिक सच्चाइयों की भौतिकवादी समीक्षा की जाती है तब उनका मूल आध्यात्मिक अर्थ लुप्त हो जाता है और उनकी भौतिकवादी टीका ग्रहण कर ली जाती है। तब आध्यातिमकता को भौतिकता अपने प्रभाव में ले लेती है, बाह्य नैतिक प्राधिकारी अपना मंतव्य मढ़ने लगते हैं, ऐन्द्रिक भूख सत्य को निगलने लगते हैं, संतुलन एवं समरसता की संस्कृति को 'सम्पन्नों' एवं 'विपन्नों' की संस्कृति में बदल दिया जाता है। शिकार एवं शिकारी संस्कृति को स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की दुनिया में स्त्रियों को ऐन्द्रिक सुख प्राप्ति के एक साधन के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों का कर्तव्य है अपने मर्द पालकों की सेवा करना। कुमारियों की आराधना की जाती है जबकि शादी-शुदा नारियों का मान इस बात के आधार पर आंका जाता है कि उसने कितने बालकों को जन्म दिया है। अगर वह अपने पति की आज्ञा नहीं मानती है तो उसे

व्यभिचारिणी मानकर दुत्कार दिया जाता है।

3.3.2 सामाजिक वृत्तियाँ

शताब्दियों से ऐसा माना जाता है कि नारियाँ शारीरिक संरचना के आधार पर कमजोर होती हैं और वे कुछ विशेष कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती हैं। भारत के संविधान ने पुरूषों एवं स्त्रियों को एकसमान अधिकार दिए हैं, बल्कि स्त्रियों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की हैं ताकि उनके खिलाफ किसी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव न किया जा सके। इसके बावजूद आज तक स्त्रियों एवं पुरूषों को एकसमान अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। यह असमानता हर सामाजिक संस्थानों जैसे कि परिवारों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय एवं राज्य सरकारों आदि में व्याप्त है। प्रायः प्रत्येक घर में एवं समाज के हर स्तर पर ऐसी ही स्थिति है।

मिथ्या मान्यताएं (False Assumptions)

यह एक प्रचलित मान्यता है कि स्त्रियाँ जन्म से ही पुरूषों की तुलना में हीन हैं। वह एक बोझ है जो पारिवारिक स्त्रोतों का उपभोग करती है। परिवार में बचपन से ही लड़कियों के खिलाफ मानसिक हिंसा की शुरूआत कर दी जाती है। पोषक आहारों, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा से उसे दूर रखा जाता है। अनेक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतवर्ष में 30% परिवारों का संचालन महिलाओं के हाथों में है अर्थात् ये 30% परिवार पूर्णतः महिलाओं द्वारा अर्जित कमाई पर निर्भर रहते हैं। ऐसे प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाने के बावजूद भी महिलाओं को उपभोक्ता ही माना जाता है , उत्पादकर्ता अथवा कामकाजी नहीं। पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को जो रकम दी जाती है उसे महिलाएं घर खर्च के लिए प्रयोग में लाती हैं न कि व्यक्तिगत खर्च के लिए। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो महिलाएं कमाती हैं वे भी अपनी आमदनी घर खर्च के लिए ही प्रयोग करती हैं न कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए।

भारतवर्ष में महिला साक्षरता की दर काफी कम है। अधिकांश महिलाओं को अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है, अतः उन्हें अकुशल मजदूर की तरह ही कार्य करना पड़ता है। महिलाएं घरेलू उत्तरदायित्वों का वहन करने के साथ-साथ ही कमाई करने भी जाती हैं। उन्हें शिकार बना दिया गया है दो गुणा काम करने के लिए जिसकी कोई प्रशंसा उन्हें नहीं मिलती है। महिलाओं द्वारा सम्पन्न घरेलू कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा, आर्थिक क्षतिपूर्ति, छुट्टियाँ अथवा कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है जैसा कि वेतन के बदले काम करने वाले किसी भी कर्मी को प्राप्त होता है। यद्यपि घरेलू कार्यों को पुरूषों द्वारा तथा पुरूषवादी समाज द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। अध्ययन द्वारा यह पता चला है कि यदि सरकार इन कार्यों के लिए वेतन भुगतान करने लगे तो सरकार की आमदनी का एक काफी बड़ा भाग वेतन के रूप में ही खर्च हो जाएगा। नीचे एक कहानी दी जा रही है जो बताती है कि अधिकांश पुरूष,

महिलाओं एवं घरेलू कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं।

एक आदमी था जो हमेशा ही अपनी पत्नी को डांटता रहता था। वह आदमी कहता था कि उसकी पत्नी आलसी है और वह सारा दिन घर में चुपचाप बैठी रहती है, वह नकारा है और उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। उसे अपने आलसी व बेकार होने पर शर्म आनी चाहिए। एक दिन पत्नी ने विचार किया कि वह कुछ भी नहीं करेगी और सारा दिन घर में चुपचाप बैठी रहेगी। शाम को जब उसका पति कार्यालय से वापस आया तो उसने पाया कि शाम का भोजन तैयार नहीं था, घर की सफाई नहीं की गई थी। अनधुले कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। बच्चे को नहलाया नहीं गया था। नाश्ते के जूठे प्लेट अब तक भी धुले नहीं थे। घर पूरा ही चंडूखाना नजर आ रहा था। रोष और क्रोध से वह चिल्लाया और उसने अपनी पत्नी को दंडित करने की बात कही, तब उसकी पत्नी ने शांति से कहा कि वह महीनों से उस पर आरोप लगाता रहा है कि वह (पत्नी) आलसियों की तरह घर में पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती है। अतः वह उसे बतलाना चाहती थी कि आमतौर पर वह सारा दिन काफी व्यस्त रहा करती है। घर की साफ-सफाई करती है, बच्चे को तैयार करती है और उसके लिए रात का भोजन तैयार करती है। अब उसे यह समझना चाहिए कि ये चीजें अपने आप ही नहीं होती रहती हैं बल्कि इन्हें प्रतिदिन यत्नपूर्वक अंजाम देना पड़ता है। यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है।

अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि महिलाएं घर का काम करके ही खुश हैं और माँओं तथा दादियों को समझदार निश्चित कार्यों के अतिरिक्त और किसी दूसरे कार्य को करने की कोई रूचि नहीं है। पुरूषवादी मान्यताएं महिलाओं को ऐसा सोचने के लिए विवश करती हैं कि आर्थिक उपार्जन का कार्य नहीं कर पाने के कारण वे हीन हैं। खासकर गाँवों में जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है और जहाँ महिलाओं को घरों की चारदीवारियों में कैदियों की तरह रहना पड़ता है, वहाँ की स्त्रियाँ अपनी अवस्था के बारे में चर्चा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं कर पातीं। एक बार यदि पुरूष महिलाओं की कीमत समझ ले एवं उनके कार्यों का महत्व जान ले तो उसे यह आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि उसकी सफलता उसकी पत्नी के सहयोग के बिना असंभव थी। शायद इसीलिए यह कहावत भारतवर्ष में प्रचलित है 'हर सफल पुरूष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ है।' समाज को चाहिए कि वह महिलाओं द्वारा सम्पन्न अदृश्य एवं अवैतनिक कार्यों की कीमत समझे एवं उनका सम्मान करे।

पौराणिक सामाजिक वृत्तियाँ इन मिथ्या मान्यताओं को मजबूती प्रदान करती रहती हैं कि नैतिक रूप से पुरूष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ हैं, गोरी चमड़ी वाले काली चमड़ी वालों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, अधिक आयु वाले कम आयु वालों से श्रेष्ठ हैं एवं अमीर, गरीबों से श्रेष्ठ हैं। इन भ्रामकताओं को कथाओं, उदाहरणों एवं प्रसिद्ध घटनाओं की मदद से पोषित करने की चेष्टा चलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में इस घटना का वर्णन प्रायः अक्सर होता है कि

महाभारत की लड़ाई इसलिए लगी क्योंकि द्रोपदी ने दुर्योधन के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। इस प्रकार की वृत्तियाँ गाँवों, आदिवासियों एवं गरीबों के बीच अधिक प्रचलित हैं। जो भी हो, कम या अधिक भारतवर्ष के हर वर्ग में ऐसी वृत्तियों को मान्यता मिली हुई है। शहरी मध्यमवर्गीय शिक्षित लोगों के बीच महिलाओं का अधिक सम्मान है।

3.3.3 सशक्तिकरण के तत्व (The Components of Empowerment)

माँगने से, शिकायत करने से अथवा जतलाने से किसी को शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। शक्तियाँ तब प्राप्त होती हैं जब हम इसके लिए दावा करते हैं। पहली जरूरत है कि स्वयं को सशक्त बनाया जाए। पुरूषवादी, नारी द्वेषी एवं भौतिकवादी संस्कृति ने प्रायः महिलाओं को भावनात्मक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर बनाये रखने की चेष्टाएं जारी रखी हैं। आमतौर पर महिलाएं भौतिकता, निस्सारता, आत्म-सम्मानहीनता, निर्भरता एवं सेवकत्व के कारण कमजोर होती चली आई हैं। महिलाओं एवं पुरूषों को अपना आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक घाव भरने का प्रयत्न करना चाहिए, अपनी बौद्धिक एवं कार्मिक योग्यताओं का विकास करना चाहिए तथा ध्यानाभ्यास द्वारा सर्वोच्च सत्ता से व आध्यात्मिकता के अध्ययन तथा अभ्यास से शक्तियाँ संचित करनी चाहिए।

आत्म गौरव (Self-esteem)

एक सशक्त महिला को स्वयं पर गौरव होता है। उसे यह अच्छा लगता है कि वह एक महिला है। आज की संस्कृति के अनुसार अनेक महिलाएं इस बात के लिए स्वयं को शर्मिंदा महसूस करती हैं कि वे एक औरत हैं। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे स्वयं को पुरूषों की तुलना में शारीरिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक रूप से कम समझे क्योंकि वे अनेक ऐसे कार्य नहीं कर सकती है जो पुरूष कर सकते हैं। महिला आंदोलनों का एक स्लोगन है 'मेरी शरीर संरचना ही मेरी किस्मत नहीं है।' जहाँ यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ जैविक कार्य मात्र महिलाएं ही कर सकती हैं, अन्य कार्यों के करने में लिंग कोई मुद्दा नहीं होता है। किसी महिला को इस बात के लिए दुःखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एक महिला है। अतः उसे पुरूषों के समान बनने की कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में यदि कोई महिला की प्रशंसा करना चाहता है तो वह हमेशा पुरूषों का ही संदर्भ चुनता है और कहता है, 'तुम अलग हो, तुम बिल्कुल मर्दों के समान हो।' इस प्रकार की नकारात्मक प्रशंसा को चुनौती देने की आवश्यकता है।

जागरूकता (Awareness)

एक सशक्त महिला जागरूक होती है एवं उसे अपने अधिकारों की शिक्षा प्राप्त होती है। अपनी आंतरिक संवेदनशीलता एवं बौद्धिक परखशक्ति के आधार पर वह अपने पूर्वाभासों को स्पष्ट रीति से समझने लगती है। वह जानकारियाँ जुटाती हैं, ज्वलंत मुद्दों पर वार्तालापों की

कीमत समझती है एवं उन पर चलती है। जब एक महिला अपने अधिकारों को जानती एवं समझती है, तब वह पहले एक व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों को जानती है और बाद में एक महिला के रूप में उन्हें पहचानती है। इसके बाद ही वह अपना अगला कदम उठाती है। जागरूकता को जब अपने कर्मों में उतार लिया जाता है तब वह शक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है।

पसंद को पूरा करने की शक्ति (Power of Choice)

एक सशक्त महिला को यह अधिकार होता है कि वह अपने वायदों को पूरा करे एवं अपने अधिकरों का प्रयोग कर सके। पसंद की स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक महिला अपने जीवन के हर पहलू एवं अपने शरीर के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सशक्त कहलाने के लिए जो चाहे सो करे। एक सशक्त महिला यह जानती है कि उसे कौन सा कदम उठाना चाहिए और वह उसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र होती है। वह मात्र दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती है। यदि कोई महिला घर में रहना चाहती है अथवा वह कोई काम करना चाहती है या वह अविवाहित रहना चाहती है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समाज में प्रचलित लिंगभेद से एक सशक्त महिला परिचित होती है। हर स्तर पर वह उनका विरोध करती है। महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से बात की जाती है उसे वह गंभीरता से लेती है। एक सशक्त महिला भाषा, वृत्ति एवं प्रथा के अंदर छिपे हुए लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जागरूक होती है। वह उन्हें पहचान लेती है और शीघ्र ही बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से उसका प्रत्युत्तर देती है अर्थात् वह यह प्रकट करती है कि वह समझ के आधार पर अपनी योग्यताओं का प्रयोग कर सकती है। लिंग आधारित भेदभाव समाज के हर भाग में गहराई से घुसा हुआ है। जो जागरूक नहीं हैं वे इसको पहचान नहीं पाएंगे। एक सशक्त महिला लिंग आधारित भेदभाव से यह सोचकर समझौता नहीं कर सकती कि यह तो समाज के हर भाग में गहराई से घुसा हुआ है और वह अकेली इससे नहीं लड़ सकती। दरअसल एक का अपना महत्व होता है और अंततः एक व्यक्ति भी बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है।

भारतवर्ष की कुछ महिलाओं ने अपने सामने की रूकावटों को तोड़ डाला, अपने लक्ष्य निश्चित किए एवं उन्हें प्राप्त कर लिया। सशक्त महिलाओं को प्रायः सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ प्राप्त होते हैं। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न तब पूरा होगा जब बड़े पैमाने पर समाज के हर वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा।

सूक्ष्म स्तरीय बदलाव (Micro Level Change)

व्यक्तिगत स्तर पर अर्थात् सूक्ष्म स्तर पर किया गया बदलाव काफी प्रभावशाली होता है। इसका अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति भी परिस्थितियों को बदल डालने की क्षमता

रखता है परंतु उसे दृढ़ता अपनानी पड़ेगी एवं रूकावटों को पार कर आगे जाना होगा। यह उस व्यक्ति के नेतृत्व द्वारा प्रकट होता है जिसके पास एक स्पष्ट एवं सशक्त 'स्वप्न' (Vision) हो और जिसे पता हो कि उस स्वप्न को किस प्रकार से साकार किया जाता है। इस प्रकार के बदलाव का अनुसरण करना दूसरों के लिए आसान होता है क्योंकि उनके सामने एक उदाहरण होता है। वृहद् स्तरीय बदलाव का अर्थ है नियमों को लागू करना एवं दबाव द्वारा वृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलना। वृहद् स्तरीय बदलाव की वृत्ति काफी लम्बे समय से प्रयोग में लाई जा रही है मगर इसका लाभ सिर्फ यही हुआ है कि असमानता सदाकाल के लिए स्थापित सी हो गई है।

एक सशक्त महिला सूक्ष्म स्तरीय वृत्ति द्वारा बदलाव ला सकती है। वह सर्वप्रथम स्वयं की ओर ही देखती है। उसका अनेक लोगों के साथ हर रोज वास्ता पड़ता है और उसका समाज के एक बड़े वर्ग के साथ रोजाना का सम्पर्क होता है और इनमें से अनेक लोग उसे सुनते हैं। वह अपने जीवन से इन विचारों को लोगों तक पहुँचाती है और अपने इर्द-गिर्द के लोगों के सामने एक वैकल्पिक (Alternative) दृष्टि प्रस्तुत करती है। अगर कोई इस वैकल्पिक दृष्टि को स्वीकार नहीं करता है तो इसे छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं एवं लोगों के खिलाफ जारी हर प्रकार के भेदभाव का विरोध सतत् जारी रहना चाहिए। एक सशक्त महिला भेदभाव के हर प्रकार के प्रति जागरूक होती है, वह निरंतर उनका विरोध करती रहती है।

बाहर से सशक्तिकरण की शुरूआत होती है (Empowerment begins outside)

प्रारम्भ में महिला आंदोलन की शुरूआत कुछ शिक्षित एवं जानकार महिलाओं की आपसी चर्चा से हुई जहाँ उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संदर्भ में बातचीत की। इसके बाद इन महिलाओं को लगा कि इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए जिसमें सभी महिलाएं जुड़ें। लिंग विषयक न्याय प्राप्त करने के लिए आपस में मिलना-जुलना, समस्याओं पर चर्चा करना एवं उनके उत्तर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा जाता है कि अन्याय का विरोध उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सीधे-सीधे प्रताड़ित नहीं हो रहे होते हैं। सशक्तिकरण का मुद्दा सार्वजनिक हो जाने से महिलाएं एवं पुरूष दोनों ही वास्तविकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि अगर अन्याय की ये प्रथाएं बंद हो जाएं तो हमारा समाज कैसा होगा एवं किस प्रकार महिलाएं एवं पुरूष मिल-जुलकर बराबरी से रहेंगे। प्रायः प्रत्येक आंदोलन को बाह्य नेतृत्व पर निर्भर होना ही पड़ता है और बाहरी नेतृत्व किसी भी प्रकार अपने पद एवं प्रतिष्ठा से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते। किसी भी आंदोलन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब उसका नेतृत्व उसके अंदर से ही उभरे।

3.4 महिलाओं के खिलाफ हिंसा
(Violence against Women)

'भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ हीनदृष्टि, शोषण एवं निर्दयतापूर्ण व्यवहार ने संस्थागत स्वरूप धारण कर लिया है।'

- अन्निका सोरेन्तम, स्वीडन की महिला गोल्फर

वर्ग, जाति एवं धर्म की सीमा से परे सभी जगह महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा भारतवर्ष में एक आम बात है। जीवन के हर क्षेत्र में भारत की महिलाओं को भेदभाव सहन करना पड़ता है। इसके पहले कदम के रूप में महिला भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है एवं महिला शिशु को जन्म लेने से ही रोक दिया जाता है। दूसरे कदम के रूप में महिला शिशु की जन्म लेते ही हत्या कर दी जाती है।

3.4.1 महिला भ्रूण एवं शिशु हत्या (Female Foeticide and Infanticide)

सन् 1940 के दशक में ब्रिटिश भारत में जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जनगणना रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ लोग महिला शिशुओं की हत्या कर देते हैं। यह एक विडंबना है कि जिस देश में महिलाओं को संविधान द्वारा पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं वहाँ हजारों लड़कियों को जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाता है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में गत 10 वर्षों में महिला भ्रूण हत्या के मामलों में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। 19 एवं 20वीं सदी के मध्य पुरूष एवं महिला के बीच का लिंग अनुपात 1000 की तुलना में 972 था। सन् 1991 की जनगणना में यह पाया गया कि यह अनुपात घटकर1000 की तुलना में 929 रह गया है। पुनः सन् 2001 की जनगणना में इस अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई। यह 1000 की तुलना में 931 हो गया। भ्रूण परीक्षण के खिलाफ सन् 1991 में एक कानून लाया गया जो 1994 में लागू हो गया। इसके बावजूद आज भी यह जांचने के लक्ष्य से कि भ्रूण महिला है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, भ्रूण परीक्षण जारी है।

लोग किस प्रकार किसी महिला भ्रूण अथवा शिशु की हत्या को न्यायोचित ठहरा सकते हैं? लोग सोचते हैं कि अगर लड़कियों को जन्म लेने दिया गया और उन्हें बढ़ने का हक दिया गया तो उनकी शादी करनी होगी जिसमें काफी दहेज देना पड़ेगा। समाज के अनेक तबकों में लड़कियों की शादी के बाद भी उनका व्यक्तिगत खर्च एवं उनकी डिलीवरी का खर्च भी परिवार को ही वहन करना होता है। गैरकानूनी होने के बावजूद भी दहेज की मांग शादी के बाद भी जारी रहती है। अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि महिला भ्रूण को समाप्त कर देना अथाव महिला शिशु की हत्या कर देना बाद के जीवन में परेशान होते रहने से कहीं अच्छा है। महिलाओं द्वारा आपत्ति दर्ज किए

जाने से पूर्व मुंबई की लोकल ट्रेनों में भ्रूण मुक्ति से सम्बन्धित इस प्रकार के विज्ञापन लगाए जाते थे : अभी 600 रूपये खर्चें अन्यथा बाद में 60,000 रूपये खर्चने पड़ेंगे। अनेक अस्पताल लिंग परीक्षण एवं महिला भ्रूण मुक्ति के लिए हर प्रकार की सुविधा देने सम्बन्धी विज्ञापन दिया करते थे। भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में तो इसी कार्य के लिए चलंत अस्पताल की सुविधाएं भी प्राप्त थीं।

3.4.2 इच्छा के विरुद्ध विवाह (Forced Marriage)

भारतीय संविधान एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 के अनुसार किसी भी लड़की का विवाह करना जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, कानूनन जुर्म है। इस पर भी अगर व्यौरों की तरफ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भारतवर्ष में विवाह की औसत आयु यही है। हाँ अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी भिन्न हो सकती है। अगर किसी लड़की का विवाह जबर्दस्ती 11 वर्ष, 14, 15 या 16 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता है तो यह हिंसा मानी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में कम आयु की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है और इसके बाद वे बच्चों के जन्म, बच्चों की पालना एवं घरेलू झंझटों के मकड़जाल में उलझ जाती हैं। इन महिलाओं के लिए महिला मुक्ति की बात करना एक कठिन कार्य है।

एक सशक्त महिला अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकती है। किसी भी महिला को यह हक है कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी पढ़ाई जारी रखे अथवा अपनी पसंद के अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव करे। इन दिनों अनेक लड़कियों को स्कूलों अथवा कॉलेजों से हटा लिया जाता है और माता-पिता अपनी पसंद के अनुसार वर के साथ लड़की का विवाह कर देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति यह तय करता है कि उसका विवाह कब किया जाना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ। उसे अपने पहले बच्चे को कब जन्म देना चाहिए और कितने बच्चों को पैदा करना चाहिए। उसे महिला भ्रूण को नष्ट करना देना चाहिए या नहीं तथा उसे महिला शिशु की हत्या कर देना चाहिए या नहीं। सैद्धांतिक रूप से उसे अधिकार तो मिले हुए हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से उसका अपने शरीर अथवा अपने जीवन पर कोई हक नहीं है।

3.4.3 घरेलू हिंसा (Domestic Violence)

घरेलू हिंसा एक वैश्विक घटना है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों द्वारा महिलाओं पर किए गए शोधों के परिणाम यह बताते हैं तकरीबन 60% महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा का शिकार अवश्य बनती हैं (17 दिसम्बर 2004, टाइम्स ऑफ इंडिया)। दोहरे नियम चलते रहते हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के साथ काफी सम्मानजनक बर्ताव किया जाता है मगर कठोर सच्चाई यह है कि अनगिनत महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार बनती रहती हैं। महिला भ्रूण हत्या माँ बनने वाली महिला एवं अजन्मी महिला के साथ की गई हिंसा है। कई बार महिलाओं को अपने जीवन के अंत समय तक हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा महिला मुक्ति के

मार्ग की सर्वाधिक दमनकारी रूकावट है क्योंकि यह छिपी हुई होती है और अनेक बार इस घटना के होने से इंकार कर दिया जाता है।

महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने से डरती हैं। इसमें उनका अपना एवं उनके परिवार के सम्मान का नष्ट हो जाना समाया हुआ होता है। गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के समाप्त हो जाने तथा जीविका का स्त्रोत छिन जाने का भय भी उनके मन में समाया होता है। भारत के राष्ट्रीय अपराध संघ ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में बढ़ोत्तरी का रूख पाया है। इस संघ ने देखा कि सन् 1994 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जहाँ मात्र 82818 मामले आए थे वहीं सन् 1998 में यह संख्या बढ़कर 113000 हो गई। इसमें 13910 मामले बलात्कार से सम्बन्धित थे। उड़ीसा में 1987 से 1992 के मध्य दहेज हत्या के मामलों में 305% की वृद्धि एवं बलात्कार के मामलों में 55% की वृद्धि देखी गई। जिन लोगों पर इन अपराधों का इल्जाम लगाया गया, उनमें से मात्र 12% ही दोषी करार दिए गए। कर्नाटक जो कि एक सामान्य रूप से विकासशील राज्य है, वहाँ दहेज हत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। दूसरे राज्यों की तुलना में कर्नाटक की विकास दर न तो अधिक है और न ही कम। महिला भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, जातिगत हिंसा, जच्चा मृत्यु दर आदि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके आधार पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को समझा जा सकता है। निम्न सामाजिक स्तर, बाल विवाह, अनेक बच्चों का जल्दी-जल्दी जन्म देना आदि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाओं की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

दहेज के मामले को लेकर जब किसी महिला की हत्या कर दी जाती है तब न सिर्फ उसके अधिकारों को कुचला जाता है बल्कि उससे उसके जीवन का अधिकार भी छीन लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट बताती है कि सन् 1999 एवं 2001 के मध्य 6347 महिलाओं को जलाकर मार दिया गया।

सन् 1961 से लागू दहेज निषेध कानून के अनुसार दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों ही जुर्म है। दहेज देने अथवा लेने से अधिकतम 5 वर्ष तक की कारावास एवं 15000 रूपये अथवा दहेज के मूल्य बराबर रूपये (दोनों में जो भी अधिक है) तक का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज की माँग करने पर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की कारावास एवं 10000 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। जहाँ दहेज पहले ही दिया जा चुका है वहाँ विवाह की तिथि से तीन महीने के अंदर ही विवाहिता को दहेज वापस दे देना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए नियम बने हुए हैं। अनेक महिलाएं यह नहीं जानती हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए थाने में या न्यायालय में जा सकती हैं। यह दुर्भाग्य है कि जब कोई प्रताड़ित महिला मदद के लिए पुलिस के पास जाती है तो कानून के रक्षक उसकी मदद करने के बदले उसे हतोत्साहित करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह नामक संस्था

धर्मनिरपेक्ष नियमों के दायरों में नहीं आता है। सरकार हिंदू विवाह अधिनियम को मान्यता देती है और उसके तत्वों की सुरक्षा का समर्थन भी करती है जिसके अनुसार विवाह को हर कीमत पर कायम रखे जाने की बात कही गई है। वह कीमत एक महिला का स्वास्थ्य एवं उसका जीवन भी हो सकता है। कानून को लागू करने वाली संस्थाएं महिलाओं को घरेलू हिंसा के मामले में परिस्थिति से तालमेल बैठाने एवं संयम बरतने का पाठ पढ़ाते हैं। दहेज एवं घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून तथा महिलाओं के लिए सम्पत्ति का अधिकार जैसे कानूनों के होने पर भी उन्हें तालमेल बिठाने एवं संयम बरतने जैसी बातें कही जाती हैं। अनेक महिलाएं इस प्रकार की असहनीय स्थिति से बाहर आना चाहती हैं मगर उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक महिला संरक्षण गृह नहीं हैं। जो महिलाएं ऐसी परिस्थितियों को चुपचाप सहती रहती हैं उन्हें आदर्श नारी माना जाता है।

3.4.4 शिक्षा के अधिकार से वंचित (Denial of Education)

पुरूषवादी सोच महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहता है, वह सोच चाहे पुरूषों द्वारा अथवा महिला द्वारा प्रदर्शित किया गया हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुरूषवादी सोच के प्रभाव को कायम रखा जा सके। यह सोच महिलाओं को ऐसा पूछने की इजाजत नहीं देना चाहते कि संसार में उनकी क्या भूमिका है? साथ ही यह सोच उन्हें उनके अपने जीवन पर अधिकार को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। शारीरिक प्रताड़ना के रूप में महिलाओं के शरीर को हिंसा का शिकार बनाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है एवं तकलीफ दी जाती है। शिक्षा के अधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित करना भी महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार की हिंसा ही है। जब किसी लड़की को स्कूल से हटा लिया जाता है तब उसकी पिटाई तो नहीं की गई है मगर उसके अधिकार उससे अवश्य छीन लिए गए हैं।

हमारा पुरूषवादी समाज प्रायः लड़कियों से उनकी शिक्षा एवं सूचना का अधिकार छीनता आया है या तो उन्हें कभी स्कूल भेजा ही नहीं जाता है अथवा उन्हें समय से पहले ही स्कूलों से हटा लिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में परिवार लड़कियों के श्रम पर बहुत हद तक निर्भर होते हैं। बढ़ती हुई गरीबी के कारण माता-पिता मजदूरी कराने के लिए विवश होते हैं एवं लड़कियों को घर का काम करने, छोटे बच्चों को संभालने, ईंधन एवं चारा इकट्ठा करने, खाना बनाने एवं माता-पिता के लिए कार्यस्थल तक खाना पहुँचाने का दायित्व सौंप दिया जाता है।

आज भारतवर्ष में महिलाओं की कुल आबादी का करीब 50% अशिक्षित है जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं स्कूलों में प्रवेश ले रही हैं। शिक्षा के मद में सरकार कम खर्च करती है, उस पर भी महिला शिक्षा के लिए और भी कम खर्च प्राप्त होता है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 54.16 है जबकि ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत मात्र 46.70 ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 2 करोड़ 96 लाख लोग अशिक्षित हैं। सन् 1991 के पहले यह संख्या 32 करोड़ 8 लाख थी। जब लड़कियों को

पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है तब वे विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं। सन् 2000 से लगातार लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों को पीछे छोड़ती आ रही हैं। भारतवर्ष में सन् 2004 का 12वीं कक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि जहाँ 82.28 % लड़कियाँ सफल रहीं वहीं मात्र 71.29% लड़के सफल रहे। भारतवर्ष में कहीं भी लड़कों का परिणाम लड़कियों की तुलना में बेहतर नहीं रहा। यू.के. में भी इसी प्रकार की स्थिति है।

भारत के छह शैक्षणिक क्षेत्र	लड़कियाँ	लड़के
चेन्नई	91.72%	89.54%
दिल्ली	81.22%	68.75%
चंडीगढ़	83.66%	77.12%
अजमेर	83.31%	77.12%
इलाहाबाद	78.92%	65.48%
गुवाहाटी	65.46%	60.87%

3.4.5 महिलाओं के साथ महिलाओं का दुर्व्यवहार
(Abuse of Women by Women)

परम्परागत पारिवारिक पदानुक्रम में महिलाएं अपने से छोटी महिलाओं को प्रायः नीची नजर से देखती हैं। जिस महिला का शोषण होता है अथवा होता रहा है वह अपने से छोटी महिला पर जुल्म करती है। बहुत सारी महिलाएं इस बात से अनजान रहती हैं कि उनसे कोई भूल हो रही है अथवा वे अपने आचरण को सही ठहराने की कोशिश करती है। शक्ति के वितरण को लेकर लिंग का प्रश्न काफी सूक्ष्मता के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक परिवारों में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित होती है। जब बेटे का विवाह होता है और बहू घर में आती है तब पहले से ही घर में मौजूद महिला को भय होता है। एक बहू के मन की असुरक्षा तब बढ़ जाती है जब नई बहू अधिक सुंदर, अधिक कुशल, अधिक बुद्धिमान एवं आत्मविश्वासी होती है। उसकी असुरक्षा उसकी निष्क्रियता में परिवर्तित हो जाती है जिसे भूल से उसकी ईर्ष्या मान लिया जाता है और उसे दंडित किया जाता है। जहाँ महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है अर्थात् उसकी सीमा घर से बाहर तक भी है, वहाँ इस प्रकार की नौबत शायद नहीं आएगी। पुरूषों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी पत्नी, भाभी अथवा बहुओं के खिलाफ किसी अनुपयुक्त व्यवहार का विरोध करे। पुरूष यह कहकर महिलाओं के बीच की गलतफहमियों की अनदेखी नहीं कर सकता है कि यह महिलाओं का आपसी मामला है।

महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे पुरूषों को उनकी वास्तविक

क्षमता से दोगुणी क्षमता का मानें। महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षिण भी दिया जाता है कि वे पुरूषों को आकर्षित करने के लिए अन्य महिला से प्रतियोगिता करें मगर इस सच्चाई को स्वीकार न करें। अपनी पहचान के लिए उनका संदर्भ बिंदु एक पुरूष ही होता है। जब महिला किसी लड़के को जन्म देती है तब उसकी प्रशंसा की जाती है एवं उसका आभार प्रकट किया जाता है। जो महिला अपने पति से पहले मृत्यु का वरण कर लेती है उसकी प्रशंसा एक देवी के रूप में की जाती है। महिलाओं के खिलाफ निर्दयी समाजिक वृत्तियाँ जितनी पुरूषों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं उतनी ही महिलाओं द्वारा भी प्रदर्शित की जाती हैं। वे सार्वजनिक जीवन भी जीती हैं। ऐसी बहुत कम महिलाएं राजनीति में हैं जिन्होंने समाज की किसी महिला के जीवन को संवारा हों। जिस महिला के हाथ में राजनीतिक शक्ति आ जाती है वह अक्सर उन फैसलों का समर्थन करती है जो महिलाओं के हितों के खिलाफ होते हैं। इस प्रकार से वह अपने हाथ में शक्ति कायम रखती है।

3.4.6 महिलाएं एवं जातिगत रूकावटें (Women and Caste Barriers)

खंडित भारतीय समाज के सभी समूहों की महिलाओं का शोषण होता आ रहा है। विभिन्न जातियों की महिलाएं आपस में मिलकर किसी सांझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं कर पाती हैं। महिलाओं के मन में उसकी अपनी जाति सम्बन्धी चेतना बनी रहती है और सामाजिक बुराई को समाप्त करने सम्बन्धी उसका दायित्व गौण हो जाता है। भारतवर्ष में महिला आंदोलन की आलोचना हमेशा यह कहकर की जाती रही है कि इसका संचालन सवर्ण महिलाओं के हाथों में है। भारतवर्ष में इन दिनों महिला आंदोलनों की आलोचना में भीतरी एवं बाहरी का मुद्दा भी छा गया है। दलित शब्द का अर्थ है दबे कुचले हुए लोग। एक दलित महिला दो प्रकार का शोषण झेलती है। पहला यह कि वह एक दलित है और दूसरा कि वह एक महिला है। अपने समूह के लोगों द्वारा एवं बाहरी लोगों के द्वारा भी उसका शोषण होता रहता है। इस प्रकार के विभाजन के कारण किसी अन्याय के खिलाफ एकल संघर्ष नहीं हो पाता है।

3.4.7 वेश्यावृत्ति के लिए बलप्रयोग (Forced Prostitution)

लड़कियों का यौन शोषण आज के समय की सबसे डरावनी सच्चाई है जो भारतीय समाज के हर वर्ग में व्याप्त है। भारतवर्ष में सेक्स टूरिज्म का तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है। युवतियों को देह व्यापार के धंधे में जबर्दस्ती डाल दिया जाता है एवं किसी को भी यह पता नहीं चल पाता है कि बाद में उस लड़की के साथ क्या हुआ? संभव है कि वे एड्स का शिकार बन गई हों। हो सकता है कि वे किसी काम की न रही हों अथवा वेश्यालयों में अपना जीवन बिता रही हों। यदि वह भाग्यशाली हुईं तो हो सकता है कि सरकार ने उसकी रक्षा की हो परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उसके परिवार वालों ने अथवा समाज ने उसे स्वीकार कर लिया हो। माता-पिता को प्रायः इस बात की सूचना नहीं होती है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ।

उदाहरण-

कुछ वर्ष पहले मुंबई के एक वेश्यालय से करीब 20 लड़कियों को मुक्त करवाया गया और उन्हें मैसूर भेजा गया। सभी लड़कियाँ मैसूर नगर के आसपास के गाँवों की थीं एवं काफी गरीब परिवारों से थीं। उनकी उम्र 14 से 20 वर्ष की थी। पुलिस को तब उनकी स्थिति का पता चला जब उनमें से एक लड़की अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को सहन नहीं कर पाई और छत से कूद गई। अपने टूटे हुए पैर से चलकर वह थाने तक पहुँची और उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने अपने मैसूर के सहयोगी को खबर दिया। मैसूर पुलिस लड़कियों को मैसूर ले आई। मगर उन्हें थाने में रखना संभव नहीं था। मैसूर का पुलिस अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था। उसने महिला संगठनों से सम्पर्क किया। वहाँ के व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे उनके लिए भोजन एवं कपड़ों का प्रबंध करें। लड़कियों में से एक को एड्स का संक्रमण लग चुका था। सर्वाधिक दुखद बात यह हुई कि एक लड़की जो गूंगी एवं बहरी थी वह अपने माता-पिता का पता नहीं बता सकी और उसे नारीगृह में ही रहना पड़ा। कुछ लड़कियों ने अपने घरों में वापस जाने से इंकार कर दिया। कुछ को प्रशिक्षण दिया गया और बाद में उन्हें नौकरी मिल गई।

3.5 भारतवर्ष में महिलाओं के कानूनी अधिकार (Women's Legal Rights in India)

संविधान के आमुख (Preamble) में इस बात का उल्लेख है कि सभी को समान अधिकार, समान अवसर, न्याय एवं गरिमा प्राप्ति का हक होगा। मौलिक अधिकार इस बात की गारंटी देता है कि कानून में महिलाओं को बराबरी का हक है। संविधान की धारा 14 एवं 15 के अनुसार महिला एवं पुरूष दोनों को न सिर्फ बराबरी का अधिकार ही दिया गया है बल्कि इस बात की घोषणा भी की गई है कि इनके बीच किसी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव न किया जाए। धारा 15 के अनुसार सरकार को आगाह किया गया है कि लिंग के आधार पर किसी को भी सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। धारा 16 के अनुसार स्त्री एवं पुरूष दोनों को ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एकसमान अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि स्त्री एवं पुरूष दोनों को रोजगार के समान अवसर मिलें, एकसमान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाए, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, शोषण से दोनों को बचाया जाए, उन्हें समुचित परिवेश में कार्य करने का अवसर दिया जाए तथा मातृत्व सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।

संविधान का 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन बिल महिलाओं को संसद एवं विधानमंडलों में 33% आरक्षण देने के पक्ष में लाया गया एक बिल है जिसका संसद के कुछ राजनीतिक दलों के

पुरूष सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। राजनीतिक दलों में मात्र 3.3 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्थानीय योजनाओं जैसे आर्थिक पैकेज, जवाबदारी एवं योजना के तौर तरीकों के निर्धारण के लिए महिलाएं सक्रिय रूप से वाद-विवाद में हिस्सा ले रही हैं तथापि संसदों में उनकी उपस्थिति में रोड़े अटकाये जा रहे हैं।

महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। स्वार्थ और लालच से संचालित परिवारों में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। दहेज की मांग, बहुओं को प्रताड़ित करना, लड़कियों को स्कूल से हटा लेना, सवर्ण द्वारा किसी दलित का शोषण किया जाना आदि स्वार्थपन की मिसाल हैं और इस प्रकार का व्यवहार यह दर्शाता है कि मानव को वस्तु के तौर पर देखा जा रहा है। ये अमानवीय एवं निर्दयी सामाजिक वृत्तियाँ पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं द्वारा भी अपनाई जाती हैं।

3.5.1 कानूनों की अवहेलना (Disregard for Laws)

सामाजिक बंधनों से मुक्ति कानून बनाकर करना मुश्किल है। लिंग प्रभावित एवं पूर्वाग्रह ग्रस्त भावनाओं से लिप्त आधार पर भारतीय कानूनों को पुनर्आरोपित किया गया है। भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रारम्भ मात्र कुछ दशक पहले ही हुआ है जबकि यहाँ हजारों वर्षों से शोषण जारी है। जिन कानूनों का लाभ एवं सुरक्षा महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं उनके मार्ग के अवरोध को हटा लिया जाना चाहिए।

इस देश में मात्र कुछ ही महिलाओं को जिनमें औपचारिक शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी शामिल हैं, अपने अधिकारों का ज्ञान है। अनेक महिलाओं को यह भी पता नहीं है कि उनका अपने ही शरीर पर कितना हक है। अगर कोई महिला परिवार नियोजन के लिए शल्य चिकित्सा कराना चाहती है तो डॉक्टर उससे उसके पति की लिखित अनुमति लाने का निर्देश देते हैं। यह महिलाओं के ऊपर एक बड़ा बंधन है। महिला एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लालन-पालन की जिम्मेवारी उठाती है मगर उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वह अपने अगले बच्चे के गर्भधारण के बारे में स्वयं तय करे। पति ही इस बात का फैसला करता है कि पत्नी को क्या करना चाहिए। कानून तब सार्थक माने जाएंगे जब वे महिलाओं को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि उनके अधिकार क्या हैं तथा उनके अंदर उन कानूनों को लागू करने का आत्मविश्वास जगाएं।

3.5.2 धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नियमों के मध्य संघर्ष (Conflict between Religion & Secular Law)

हिंदू पद्धति के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्कार है और मुस्लिम पद्धति की तरह यह कोई शर्त (कांट्रेक्ट) नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पति-पत्नी कुदरत के कानून के

अनुसार स्वाभाविक रूप से ही एक हैं और इसीलिए कानून की निगाह में उन्हें एक ही माना जाता है। हालांकि हिंदू मान्यता के अनुसार एक ही विवाह मान्य है परंतु परिस्थिति के अनुसार पहली पत्नी को बिना किसी शिकायत के अपने पति की अन्य पत्नी या पत्नियों को स्वीकार करना चाहिए। इस वृत्ति को समायोजन नामक शब्द के प्रयोग से स्पष्ट किया गया है। इस बात की चिंता किए बिना कि परिस्थिति किस हद तक गैरकानूनी है, स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुपचाप उसे सहन करें और उससे बचाव का कोई यत्न न करें। न्यायालयों की मान्यता है कि विवाह को बनाए रखना, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः न्यायालय पत्नियों को दूसरी पत्नी को स्वीकार करने का निर्देश देकर उन्हें प्रताड़ित करता है। दूसरा विवाह करके कानून का उल्लंघन करने के लिए पति को दंडित नहीं किया जाता है। महिलाओं को दिए जाने वाले सलाहों में अक्सर यह कहा जाता है कि अंततः वे महिलाएं हैं और उन्हें यह सब सहन करना चाहिए। समस्या दरअसल द्विविवाह की है।

सन् 1986 में तलाक, गुजारा भत्ता एवं उत्तराधिकार के मामलों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई थी परंतु ऐसा जान पड़ता है कि परिवार न्यायालय विवाह को हर कीमत पर बनाये रखने का एक गुप्त एजेण्डा है। हिंदुओं के विवाह सम्बन्धी धार्मिक कानूनों का हवाला देकर स्त्रियों को उनके मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है। महिलाओं के नजरिये से इन बातों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है।

प्रथम उदाहरण-

बिना कोई वसीयत बनाए ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसने अपना विवाह पंजीकृत नहीं किया था। उसके बेटों ने अपनी माँ अर्थात् उस व्यक्ति की पत्नी को पहचानने से इंकार कर दिया। इस प्रकार कोर्ट ने उस स्त्री को प्रमाण के अभाव में मृतक की पत्नी मानने से इंकार कर दिया और सारी सम्पत्ति दोनों बेटों को दे दी गई।

दूसरा उदाहरण-

कोई माता अपने बेटे का सर्टीफिकेट लेने के लिए बैंक अथवा किसी सरकारी दफ्तर में जाती है। माता से पूछा जाता है कि बच्चे के पिता का हस्ताक्षर चाहिए। वे कहते हैं कि यही नियम है। अगर स्त्री नियमों को देखने की जिद नहीं करती है तो उसे पिता का दस्तखत लाने की अनिवार्यता कही जाती है।

3.5.3 महिलाओं की प्रत्यक्षता के समर्थक कानून
(Laws that Enhance Women's Visibility)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में माँ को बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक माना

है।इस उद्घोषणा को आने में काफी लम्बा वक्त लगा। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और अनेक वर्षों तक उसका लालन-पालन करती है। कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ एक महिला तभी प्राप्त कर सकती है अगर वह इसके लिए संघर्ष करती है।

कर्नाटक सरकार ने यह नियम बना दिया है कि स्कूलों में बच्चों की माँ का नाम फॉर्म पर लिखा हुआ होना ही चाहिए। समाजिक वृत्ति ऐसी है कि इसने कागजातों (Documents) में माँ की उपस्थिति को अदृश्य बना दिया है। महिला आंदोलनों ने सरकारों पर इस बात का दबाव बनाया है कि वे लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करें एवं महिलाओं की प्रत्यक्षता के सहायक नियमों को लागू करें। धीरे-धीरे अन्य राज्य सरकारें भी कनार्टक की तरह के नियम को लागू कर रही है।

3.5.4 यौन शोषण के खिलाफ कानून
(Law against Sexual Harassment)

भारत में यौन शोषण के खिलाफ कठोर कानून बनाये गये हैं। मौखिक दुर्व्यवहार को भी यौन शोषण के दायरे के अंतर्गत लाया गया है। महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए हर विश्व विद्यालय में एक समिति का निर्माण किया गया है और इसकी भरपूर जानकारी लोगों तक पहुँचायी गई है कि वे ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार की शिकायत इस समिति के पास कर सकते हैं और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मगर महिलाएं इन समितियों का लाभ नहीं लेती हैं। वे डरती हैं कि इससे उनकी सामाजिक बदनामी होगी और किसी दूसरे तरीके से उनसे इसका बदला लिया जाएगा। अनेक महिलाओं को इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें इसका कोई मुआवजा प्राप्त होगा। अगर कोई महिला ऐसी समितियों का लाभ उठाना चाहती है तो उसे जागरूक होना चाहिए। वह फैसला ले सके और इनके परिणामों को समझने के योग्य हो।

महिलाओं के अधिकार दिलाये जाने सम्बन्धी कानून तो हैं, मगर उनके ऐसा करने पर पुरूषों की शक्ति कम होगी। परिणामतः पुरूषवादी वृत्तियों वाले लोग स्त्रियों के समानता के अधिकार प्राप्त करने सम्बन्धी आंदोलनों को एक उपेक्षित मुद्दा मानते हैं।

प्रथम उदाहरण-

किसी स्थान पर यह लिखा था- 'चाहे आप कितना भी सुखी एवं आनंददायक पारिवारिक जीवन क्यों न व्यतीत कर रहे हों, जार कर्म (पर स्त्री गमन) का विचार तो मन में आता ही है। वास्तव में, यह स्त्री एवं पुरूष दोनों का ही अपमान है। यह एक प्रमाण है उन सामाजिक वृत्तियों का जो महिलाओं के भावनात्मक शोषण की अनदेखी करते हैं। यह सामाजिक नैतिकता के दोहरेपन को प्रकट करता है जो पुरूषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम लागू करते

हैं। जब कोई महिला धूम्रपान करती है तो उसे अनैतिक माना जाता है जबकि किसी पुरूष द्वारा धूम्रपान किए जाने को पुरूषोचित क्रिया माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र ने स्पष्टतया यह स्थापित किया है कि धूम्रपान हानिकारक है, सभी के लिए।

दूसरा उदाहरण-

एक महिला चिकित्सक को सप्रमाण इस बात की जानकारी थी कि उसके अभियंता (Engineer) पति ने किसी अन्य महिला के साथ शादी कर ली थी। महिला अपने पति को सबक तो सिखाना चाहती थी मगर वह उसके खिलाफ न्यायालय में इसलिए जाना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसके पति की नौकरी चले जाने का खतरा था। महिला द्वारा कानून की मदद लेने की ऐसी अनिच्छा इस बात की सूचक है कि कानून लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहा है। अनेक महिलाएं इसी प्रकार की दुविधा में ग्रस्त हैं एवं भयग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

3.6 महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार (Women's Economic and Political Power)

आजादी के 60 वर्षों के बाद एवं अनेक क्षेत्रों में विकास के बावजूद आज भी भारत के अनेक सामाजिक क्षेत्रों में नाममात्र का ही विकास हुआ है। भारत के करीब 120 करोड़ लोगों में से अत्यधिक गरीबी का जीवन-यापन करने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं एवं लड़कियों की ही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संख्या महिलाओं की कुल आबादी का करीब 70% तक है। हाल ही में गरीबी के बारे में किए गए एक आकलन के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं द्वारा संचालित घरों में गरीबी का प्रतिशत अधिक है। गरीबी एवं निम्न जातियों के बीच एक गहरा सम्बन्ध स्पष्ट देखा गया है। दुनिया का करीब एक तिहाई बाल मजदूर भारतवर्ष में ही है। गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर करने वाले करीब 6 करोड़ परिवारों में मूल पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए महिलाएं पुरूषों की तुलना में अधिक आर्थिक योगदान कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों का 70% एवं ग्रामीण क्षेत्रों का 90% अकुशल मजदूर महिलाएं ही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच का मातृत्व मृत्यु दर 12.5% है। विकसित देशों की तुलना में भारतवर्ष की रुग्णता एवं मृत्यु दर 50 गुणा अधिक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 35 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु में महिलाओं का प्रतिशत हर आयु स्तर पर अधिक है। लड़कों की तुलना में प्रतिवर्ष 3-4 लाख अधिक लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। शहरी क्षेत्रों के करीब 5 करोड़ गरीबों में महिलाओं एवं बच्चों का प्रतिशत 60 है। आय, शिक्षा, मृत्युदर, रुग्णता दर, स्वास्थ्य, हिंसा,

राजनीतिक सहभागिता, पानी, सफाई एवं बिजली तक पहुँच के इन सभी मामलों में स्त्रियों को अपने कंधों पर अधिक बोझ वहन करना पड़ता है। वे विकास की अनुचित योजनाओं एवं सत्ता के अनेक विषम रिश्तों का शिकार होती हैं।

कल्याण (Welfare)

महिलाओं के मुद्दों का विश्लेषण योजनाकार अब सशक्तिकरण के संदर्भ में कर रहे हैं। महिलाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखकर पहले कल्याणकारी पहल की जाती थी, अब उसे बदल कर साधनों तक उनकी पहुँच की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इतने पर लिंग आधारित गैर बराबरी के मुद्दे की अनदेखी कर दी गई है। महिलाओं के विकास कार्यक्रम में कल्याण पहली प्राथमिकता थी मगर 1980 तक यह बात स्पष्ट हुई कि कल्याण के विचार से लिंग पूर्वाग्रह की स्थिति को बनाये रखने में बल मिलता है। कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को ऐसी दृष्टि से देखती थीं कि मानो उन्हें सहानुभूति की अधिक आवश्यकता है न कि अपनी पहचान स्थापित करने की। सिलाई सीखना अथवा पाक कला की जानकारी देना अथवा अचार बनाना एवं उन्हें बेचना गैर बराबरी की समस्या का समाधान नहीं है। इस पुरूषवादी सोच ने दीर्घकालीन लिंगभेद पूर्वाग्रह को और गहराई प्रदान किया है। योजनाकार महिलाओं को कुछ खास सुविधाएं देना चाहते थे मगर इस सम्बन्ध में महिलाओं के विचार जानने का यत्न नहीं किया गया।

विकास

1980 के दशक तक कल्याण योजनाओं के बारे में महिला आंदोलनों एवं महिलावादियों द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाने लगे। इसके बाद विकास की बात उभरने लगी। शुरू में यह माना गया कि विकास कार्यक्रमों से सभी का बेहतर विकास होगा, सिर्फ महिलाओं का नहीं। यद्यपि कुछ गरीबी हटाने एवं रोजगार दिलाने जैसे काम हुए मगर जल्दी यह प्रश्न पूछा जाने लगा कि 'क्या विकास का अर्थ पुरूषों एवं महिलाओं के लिए समान है?' 'विकास में महिलाएं' जैसे प्रश्न शीघ्र ही महत्व पाने लगे। सोच यह थी कि क्या विकास का अर्थ महिलाओं एवं पुरूषों के समान विकास का है? परंतु ऐसा नहीं पाया गया। पुरूषवादी सोच एवं समाज में स्थापित मूल्य पद्धति हमेशा ही महिलाओं के विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी करती रहीं। अतः किसी भी विकास कार्यक्रम का पहला लाभ प्राप्त करने वाले पुरूष ही रहे। कुछ विकास कार्यक्रमों ने तो महिलाओं की खास जरूरतों एवं प्राथमिकताओं की पूरी अनदेखी कर दी।

उदाहरण के लिए स्कूल एवं समुदाय के बीच की खाई को पाटने के लिए एक प्राथमिक शाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजनाकारों ने यह सोचा कि अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यार्थी सभी एक दिन एक साथ स्कूल में रहेंगे। वार्तालाप के बीच यह बात सामने आई कि पुरूष शिक्षकों को ग्रामीण माहौल की परिस्थितियाँ अनुकूल थीं मगर महिला शिक्षिकाओं को शौचालय

एवं स्नानागार के रूप में कुछ एकांत स्थान की अनिवार्यता थी। किसी भी पुरूष योजनाकार ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए एकांत स्थल की अनिवार्यता होती है। इसके बदले में उन्होंने कहा कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहती हैं। इस प्रकार की समानता महिलाओं की बुद्धिमत्ता का अपमान है, माँग रहने पर काम करने की उनकी इच्छा का अपमान है एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकांत स्थान के उपयोग की उनके मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने से इंकार है।

विकास की अवधारणा का झुकाव 'समानता' की ओर, कल्याण की भावना की तुलना में अधिक है और यह महिलाओं को कमजोर तबका समझने की बात को दरकिनार करती है। विकास की योजनाएं हमारे समाज की अधिकांश महिलाओं के जीवन में तब तक बदलाव नहीं ला सकती हैं जब तक कि महिलाओं के प्रति असमानता के मुद्दे का हल नहीं खोज लिया जाता है। अनेक लोगों की सोच गलत है कि महिलाओं की समस्याएं एक जैसी हैं जबकि भारतीय समाज जातियों, वर्गों एवं धर्मों में बंटा हुआ है। अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं एवं उनकी समस्याएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं से अलग हैं। पोषक आहार, शुद्ध जल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्राथमिकता नहीं हो सकती है क्योंकि ये चीजें उन्हें सुलभ हैं परंतु ग्रामीण महिलाएं जो इन चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, उनके लिए ये चीजें उनकी प्रथमिकताएं हैं। उनके जीवन में कोई सार्थक बदलाव तभी आ सकता है जब विकास योजनाएं इन मुद्दों को भी उठाएं और इनका समाधान करें।

महिलाओं की सहभागिता (Women's Participation)

सामाजिक योजनाकारजो कि आमतौर पर पुरूष ही होते हैं वे महिलाओं से उनकी अवधारणाओं एवं जरूरतों के बारे में नहीं पूछते हैं। अगर वे महिलाओं से उस भाषा में बात करेंगे जो महिलाएं नहीं समझती हैं, वे ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे जिनकी उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है और ऐसे कार्यक्रम उन्हें देंगे जो उनकी परिस्थितियों में कभी भी लागू नहीं की जा सकती हैं, तो महिलाएं इन कार्यक्रमों में रूचि नहीं लेंगी। ये बातें कुछ योजनाकारों के ध्यान पर आने लगी हैं।

लोगों की भागीदारी के बिना विकास निरर्थक प्रक्रिया है। विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षक ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें ग्रामीणों अथवा वनवासियों की जरूरतों की जानकारी नहीं है। वे तभी महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रस्ताव दे सकते हैं अथवा इनमें हिस्सा ले सकते हैं जब उन्हें महिलाओं के व्यावहारिक वास्तविकताओं की जानकारी हो। विकास कार्यक्रमों का तब तक कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि उसमें शामिल सभी लोगों को भागीदारी का संतोषजनक अवसर नहीं मिलता है। मैसूर विश्व विद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक एवं समाजशास्त्री प्रो.रामेश्वरी इंदिरा अपने फील्ड प्रोजेक्ट के आधार पर निम्नलिखित उदाहरण देती हैं।

उदाहरण -

एक अवसर पर एक युवती खड़ी हुई और बाहर के प्रशिक्षकों के एक समूह को उसने कहा- रूकिए, आपको हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, हम इन बातों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आपको चाहिए कि आप हमसे हमारी जरूरतों के बारे में पूछें। हमारी भावनाओं को प्रकट करने का मौका हमें मिलना चाहिए। आपको हमारी परिस्थितियों में जीवन-यापन का कोई अनुभव नहीं है और जैसा प्रशिक्षण आप हमें दे रहे हैं उसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। हमने इन्हीं गतिविधियों के आधार पर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। वनवासियों का यह अधिकार है कि उन्हें वनों के प्रबंधन में कहने का एक अवसर दिया जाए क्योंकि उन्होंने वर्षों वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया है। समितियाँ बना ली जाती हैं, मगर अनेक महिलाओं को यह मालूम तक नहीं होता है कि समिति में उन्हें भी शामिल किया गया है। पुरूष प्रभावी समाज में अनेक लोग महिलाओं से जानकारी छिपाते हैं। अगर कभी कोई महिला मीटिंग में भाग भी लेती है तो उसे पीछे के बेंच पर बिठाया जाता है। उनके परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के कारण वे इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनका भाग लेना भी अच्छा नहीं मानते हैं। अगर कोई महिला कुछ कहना चाहती है तो प्रायः ऐसा कहकर उसे चुप कर दिया जाता है, 'बैठ जाओ, तुम्हें क्या मालूम है?' भारतवर्ष के कुछ गाँवों में पुरूष महिलाओं को अपने साथ कुर्सियों पर बैठाया जाना पसंद नहीं करते हैं। वे इस प्रकार की मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं जहाँ महिलाओं को पुरूषों के समान कुर्सियों पर स्थान दिया जाता है।

भारतीय समाज महिलाओं को अलग थलग रखता है। महिलाओं को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वे आपस में मिल नहीं पाती हैं। इस प्रकार वार्तालाप कौशल को बढ़ाने का अवसर ही उन्हें प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं का आपस में मिलना जुलना कठिन होता है क्योंकि भारतीय परम्परा के अनुसार महिलाओं को घर से बाहर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। महिलाओं की पहुँच शिक्षा एवं जानकारियों तक नहीं होती है, अतः अपने आसपास घटने वाली अनेक घटनाओं को समझ पाने में वे असमर्थ होती हैं। वनवासियों एवं वन विभाग के बीच एक मीटिंग के दौरान एक वनवासी महिला ने कहा कि संसाधनों के प्रबंधन के बारे में उनसे भी उनके विचार पूछे जाने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक खास प्रजाति का पौधा जो उनके क्षेत्र में रोपा गया था वह कीड़ों को आकर्षित करता था जिससे जल प्रदूषित हो रहा था। अगर महिला को फैसला लेते वक्त अवसर दिया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती और लोकोपयोगी एवं मित्रवत् पारिस्थितियां बनी रहतीं।

शराबखोरी (Alcoholism)

अधिकांश वनवासी इन दिनों अपनी जीविका जंगलों से प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि बड़े

उद्योगों ने जीविका के उनके संसाधनों को समाप्त कर दिया है। वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में जंगलों में काम करते हैं। प्रतिदिन उन्हें 150 रूपए प्राप्त होते हैं जिन्हें वे घर नहीं ले जाते बल्कि शराब पर खर्च कर देते हैं। घर आकर वे अपनी पत्नियों को पीटते हैं। घर खर्च चलाने के लिए महिलाएं कम दिहाड़ी पर मजदूरी करने के लिए मजबूर होती हैं। यह स्थिति मात्र वनों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी झोपड़पट्टियों के निवासियों का भी यही हाल है।

महिलाओं के संगठन (Women's Organizations)

स्वप्नदर्शी महिलाओं के अनेक वर्षों के राजनीतिक संघर्षों के परिणामस्वरूप यूनिफेम नामक संगठन अस्तित्व में आया। भारत में यूनिफेम समर्थित एक नया कदम उठाया गया है। महिला संगठनों के दबाव के कारण भारत के वित्त मंत्रालय ने अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में 'वृहद् आर्थिक योजनाओं में लिंग आधारित समानता' नामक एक नया अध्याय जोड़ा है। उद्योग एवं व्यापार जगत के लोगों के अलावा वित्त मंत्री ने महिला संगठनों से भी सम्पर्क किया। भारत सरकार कम से कम 20 राज्यों में लिंग के आधार पर बजट विश्लेषण को संस्थागत स्वरूप देने पर राजी हो गई है।

मानवाधिकार से सम्बन्धित विश्व सम्मेलन में पहली बार 1993 में स्त्रियों के मानवाधिकार के बारे में चर्चा की गई। घरेलू हिंसा की घटनाओं को व्यक्तिगत से सार्वजनिक बनाने के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वह घरेलू हिंसा के मामलों को मानवाधिकार का मामला माने।

मैसूर के महिला अध्ययन केंद्र का मैसूर विश्व विद्यालय के माहौल में काफी सकारात्मक असर रहा है। अध्ययन केंद्र के कार्यक्रमों के कारण विश्व विद्यालय समुदाय महिला मामलों के प्रति संवेदनशील रहा है। किसी आंदोलन के अस्तित्व में होने का अर्थ होता है कि ज्वलंत मुद्दों पर विचार हुआ है और उस पर बातचीत हुई है तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को जनसमुदाय के सामने लाया गया है।अनेक मामलों में महिलाओं की इस बात की अनुभूति नहीं होती है कि उन पर ज़ुल्म किए जा रहे थे क्योंकि वे इन बातों की अभ्यस्त हो गई थीं और इसे सामान्य सी बात मानती थीं। अनेक महिलाएं आज तक भी ऐसा मानती हैं कि उनकी कोई अपनी पसंद नहीं है और एक महिला के रूप में जन्म लेने का अर्थ है ज़ुल्मों को सहन करते जाना।

महिला एवं पर्यावरण (Women and the Environment)

सन् 1974 से 1984 के बीच भारत में 34% जंगलों के काटे जाने का अनुमान है। क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर होने वाले इसके गंभीर परिणामों के संदर्भ में गहरी चिंता उत्पन्न करता है। पर्यावरण के इस प्रकार के विनाश के पीछे संसाधनों का गलत वितरण, खतरनाक उपभोक्तावाद, युद्ध एवं विकास की नीतियाँ हैं।

महिलाएं पर्यावरण की इस हानि की शिकार हैं एवं उनमें से अनेक विकासोन्मुख योजनाओं एवं टिकाऊ जीवन-यापन मुद्दों को तय किए जाने के मामलों में सक्रिय भागीदारी की माँग करने लगी हैं। महिला एवं ऊर्जा तथा ऊर्जा सम्बन्धी योजनाओं के कार्यक्रम विषयक शोधों से पता चलता है कि ग्रामीण महिलाएं घरेलू कार्यों के लिए प्रतिदिन कम से कम 8.73 घण्टे कार्य करती हैं। भोजन बनाने का काम सालभर चलते रहने वाला कार्य है। इसके अलावा ईंधन इकट्ठा करना, पानी लाना, पशुओं को संभालना, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना एवं खेती आदि जैसे काम भी महिलाओं को करने पड़ते हैं। महिलाएं, पुरूषों की तुलना में 10-35% कम आय कर पाती हैं।

किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण एवं परिस्थिति का महिलाओं के जीवन के साथ एक गहरा नाता होता है। खासकर ग्रामीण महिलाओं के साथ तो यह रिश्ता और भी गहरा होता है क्योंकि वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर पूरी तरह निर्भर रहती हैं। वैसे समय में जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है और समाज में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखलाई पड़ता है, तब महिलाएं अपना अधिकांश समय अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए संसाधन जुटाने में लगाती हैं और अपने स्वास्थ्य एवं स्व कल्याण की भी चिंता नहीं करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जानकार बनने के लिए काफी उत्सुक हैं। जब भी संभव होता है वे मीटिंग में शामिल होती हैं। भारतवर्ष में हर जगह 'अपनी मदद खुद करें' जैसे संगठन कार्यरत हैं। यह संगठन उन महिलाओं की मदद करता है जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यह संगठन उनका मुकाबला करता है और उन्हें चेतावनी देता है वे ऐसा करने से बाज आएं। अपनी मदद खुद करें जैसे संगठन प्रति सप्ताह आपस में मिलते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अगर उनमें से कोई देर से मीटिंग में पहुँचता है तो वे खुद पर ही दण्ड लगाते हैं। इस प्रकार से जो धन इकट्ठा होता है उसे वे किसी जरूरी काम के लिए सीडमनी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। कर्नाटक के कामराज नगर में एक शराब की दुकान को इन महिलाओं ने खुलने ही नहीं दिया। इस प्रकार के सशक्तिकरण से सामाजिक बदलाव आने की संभावना बनती है।

महिलाओं को इस बात की आवश्यकता है कि वे संगठित हो जाएं और उन मुद्दों पर चर्चा करें जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तथा उनका उचित समाधान खोजें। संगठन एवं भागीदारी से जागरूकता आती है। जानकारी तक आपकी पहुँच भी महत्वपूर्ण है। कई 'अपनी मदद खुद करें' समूहों ने प्रगतिशील विचारों को अपनाया है एवं सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों के प्रति अपनी भागीदारी दर्शाई है।

3.7 इकाई प्रश्नावली

1. महिला सशक्तिकरण क्या है?
2. शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार एवं अपने जीवन सम्बन्धी फैसले स्वयं लेने के अपने हक को प्राप्त करने के लिए महिलाएं क्या करें?
3. शिक्षा प्राप्त करने एवं अपने जीवन सम्बन्धी फैसले स्वयं लेने का हक महिलाओं एवं लड़कियों को नहीं दिए जाने का परिणाम क्या हो सकता है?
4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की अवहेलना क्यों की जाती है अथवा उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
5. महिलाओं के मुद्दों को तुच्छ क्यों माना जाता है और किस प्रकार से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है?
6. महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के कारणों पर प्रकाश डालिये।
7. भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकारों का वर्णन कीजिए।

3.8 सारांश

एक पुरूष जितना महत्वपूर्ण है, एक महिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के श्रम एवं प्रयत्नों से समाज की भलाई होती है। महिला बच्चे की प्रथम गुरु मानी जाती है। माँ द्वारा बच्चे की शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक पालना होती है। इस पर भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है एवं उन्हें समाज में दोयम दर्जा दिया जाता है। भारतवर्ष में महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर, नैतिक रूप से अविश्वसनीय, आर्थिक रूप से बोझ एवं बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। गंभीर आध्यात्मिक गतिविधियों से उन्हें दूर ही रखा जाता है। पुरूषों को प्रभावी स्थान प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है जबकि स्त्रियों को सेवाभाव की। इस इकाई में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि इस पुरूषवादी एवं भौतिकवादी संस्कृति में महिलाओं के सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। इसमें कुछ विषयों पर प्रस्ताव किए गए हैं जिन्हें अपनाकर महिलाएं अपनी शक्ति प्राप्त कर सकती हैं तथा समाज व परिवार में उन्हें पुरूषों के पूरक के रूप में, उनके समान दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। इसमें बताया गया है कि जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वह समाज आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का भी सम्मान करता है।

एक सशक्त महिला को खुद पर गर्व होता है और उसे अपने स्त्री होने पर खुशी होती है। स्थापित सांस्कृतिक वृत्ति के अनुरूप अनेक महिलाएं खुद को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से पुरूषों की तुलना में अयोग्य मानती हैं और उन्हें लगता है कि वे वह सब कुछ

नहीं कर सकती हैं जो एक पुरूष कर सकता है। एक सशक्त महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और उसे इसका ज्ञान होता है। वह अपने फैसले खुद लेने को स्वतंत्र होती है और अपने इन अधिकारों का उपभोग करती है। अगर कोई महिला घर में रहना चाहती है अथवा घर से बाहर जाकर कोई काम करना चाहती है या वह अविवाहित रहना चाहती है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाषा, वृत्ति एवं प्रथाओं के अंदर छिपी हुई लिंगभेद जनित पूर्वाग्रहों के प्रति वह जागरूक होती है। वह इन्हें पहचान लेती है और बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से उनका जवाब देती है। समझ के आधार पर अपनी योग्यताओं के प्रयोग की क्षमता का वह प्रदर्शन करती है।

घरेलू हिंसा एक वैश्विक समस्या है। भारतवर्ष में जाति, वर्ग एवं धर्म की सीमाओं से परे सर्वत्र घरेलू हिंसा एक आम बात है। इस देश में महिला शिशुओं की हत्या का एक लम्बा इतिहास रहा है और अब महिला भ्रूण हत्या का सिलसिला भी दिनोंदिन बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में कम उम्र की युवतियों का विवाह कर दिया जाता है और उसके बाद युवतियाँ मातृत्व कर्म, बच्चों का लालन-पालन एवं घरेलू कामों के झंझटों में उलझ जाती हैं। इन दिनों कम उम्र में ही लड़कियों को विद्यालयों से हटा लिया जाता है और माता-पिता अपनी पसंद के किसी लड़के के साथ बलपूर्वक उसका विवाह कर देते हैं। सैद्धांतिक रूप से लड़कियों को अधिकार दिए गए हैं मगर उनका अपने शरीर एवं अपने जीवन पर भी व्यावहारिक रूप से अधिकार नहीं होता है। महिला मुक्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा है घरेलू हिंसा। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कानून बने हुए हैं।

लड़कियों को शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करने से लगातार इंकार किया जाता रहा है या तो कभी भी उनका दाखिला स्कूलों में नहीं करवाया जाता है अथवा कम उम्र में ही उन्हें स्कूलों से बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि पहले की तुलना में अधिक लड़कियाँ विद्यालयों में जा रही हैं फिर भी आधी आबादी अभी तक भी निरक्षर है। टेलीविजन कार्यक्रमों में कभी-कभी ही सशक्त महिलाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अनेक विज्ञापनदाता एवं मीडिया नियंत्रक भी महिला मुक्ति की अवधारणा के खिलाफ हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों में अक्सर उन महिलाओं को दिखलाया जाता है जो प्रताड़ित, शोषित एवं पद दलित की गई हैं। मीडिया का संदेश है कि महिलाओं एवं पुरूषों को अप्रत्यक्ष रूप से द्विविवाह, गलत दोषारोपण एवं शोषण के अनेक रूपों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

1993 में मानवाधिकार पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में पहली बार महिलाओं के अधिकारों पर बातचीत की गई थी। 'घरेलू हिंसा' का व्यक्तिगत मुद्दा से सार्वजनिक मुद्दा बन जाने के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को निर्देश दिया गया है कि घरेलू हिंसा को मानवाधिकार के मामले के रूप में लिया जाए। अनेक महिलाएं आज भी ऐसा महसूस करती हैं कि उनकी अपनी कोई पसंद नहीं है और एक महिला के रूप में जन्म लेने का अर्थ

है परेशानियों को सहन करना।

3.9 इकाई गृहकार्य

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 400 से 600 शब्दों में निबंध लिखिए:

1. सूक्ष्म स्तरीय बदलाव वृहद् स्तरीय बदलाव की प्रक्रिया से अधिक सफल होते हैं, क्यों?
2. 'महिला अधिकारों' का मामला अंततः मानवाधिकार का ही मामला है, क्यों?
3. पौराणिक सामाजिक वृत्तियाँ किस प्रकार सतत् बनती जा रही हैं?
4. वह कौन सी सामाजिक एवं पारम्परिक बात है जिसके कारण महिला शिशु एवं भ्रूण हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है?
5. सशक्त बनने की दिशा में महिलाओं के लिए क्या अनिवार्य है?
6. सशक्तिकरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए?

3.10 शब्द-संग्रह

पौराणिक	-	पुराना
भ्रूण	-	गर्भस्थ शिशु
मंतव्य	-	मत, राय, विचार
उत्पादकर्ता	-	उत्पादन करने वाला, कमाने वाला
क्षतिपूर्ति	-	नुकसान की पूर्ति करना
उपार्जन	-	कमाई, आय
अदृश्य	-	न दिखाई देने वाला
अवैतनिक	-	बिना वेतन का, बिना आय वाला
भ्रामकता	-	मिथ्या मान्यता
हतोत्साहित	-	निराश
असहनीय	-	जिसे सहा न जा सके
गौण	-	छोटा, कम महत्व का
एकल	-	अकेला
अवरोध	-	रूकावट, बाधा
अनिवार्यता	-	जरूरत
आकलन	-	अनुमान